

मुख्य कार्यवाहक निरीक्षक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

विषय:-

प्लॉट नं० 6 ग्राम कुंदेडा एन०एच०-24 गाजियाबाद में
प्रस्तावित ग्रेम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग रिपब्लिक
जितका कुल प्लॉट एरिया 299894 वर्गमीटर, क्लर्क एरिया-
30347.314 वर्गमीटर, समस्त फ्लोर तथा टिमिक्ल फ्लोर-का
एरिया 388865.4 वर्गमीटर, सेमेंट एरिया 135702 वर्गमीटर
भवन की ऊंचाई 46.05 मीटर प्रस्तावित है पर ग्रेम हाउसिंग
भवन निर्माण हेतु आपूर्ति प्रमाणपत्र अध्यायी निर्मित किए
जाने विषयक अग्निसुरक्षा सम्बंधी निरीक्षण आठवा ।

सन्दर्भ:-

भवन स्वामी का प्राप्ति पत्र दिनांक/6-10-2007

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्नक
मानक/साइट प्लान का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित भवन स्थल
मानक का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशामन अधिकारी गाजियाबाद
द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया तो प्रस्तावित भवन स्थल/मानक
सन्तोषजनक पाये गये भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्स्ट्रक्शन व बाहरी
सुरक्षा व्यवस्था अग्निनिवारण और अग्निसुरक्षा अधिनियम-2005 व
मानक बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 फायर एण्ड लाइफ सैफ्टी
की टेबल-23 के ग्राउंड-4 रेजिडेंसियल बिल्डिंग की मिडल आक्युमेन्सी में
निहित अग्निशामक प्राधिकारों के फायर एक्स्टिंग्यूअर, होजरील, वेल्ड
राइडर, फायर बार्ड हाइड्रेंट, स्प्रिंग कलर सिस्टम, मैन्युअल अपरेटिड फायर अलार्म
सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम, अंडर ग्राउण्ड वाटर रेडिंक के क्षमता 200000
लीटर, टैंक के क्षमता 25000 लीटर अंडर ग्राउण्ड टैंक के पास दो इलेक्ट्रिक
और एक डीजल पम्प क्षमता 2230 लीटर प्रति मिनट और एक इलेक्ट्रिक पम्प
क्षमता 180 लीटर प्रति मिनट के साथ-साथ फायर एक्विट, फायर फिड
इक्विट, ग्लोसाइन बोर्ड, पीएसो सिस्टम प्रत्येक तल पर का भी प्राधिकार
किया जाये तथा भवन में क्ले सेमेंट में 0.25 प्रतिशत फेन्टोक्साइन अम्ल
छोड़ा जाये । प्राधिकरण द्वारा समस्त-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन
करते हुये का व्यवस्था मानक के अनुस्यू होगी ।

भवन निर्माण में अग्निशामन प्रणाली की स्थापना हेतु
मानक बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 व 3 आईएस-3844-
1989/1995 का पूर्णतः पालन किया जाये इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन
किया जाता है तो निर्मित पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये ।

भवन निर्माण होने के उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त समस्त
अग्निशामन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील तथा में बनाये रहना नितान्त

आवश्यक होने तक मानकों के अनुसार निरीक्षण/परीक्षा प्राथमिक अभियानों का आयोजन। यन्त्रों के प्राक्कान स्थायी आपूर्ति प्रमाण एवं निर्मात किया जाएगा।

अतः प्रस्तावित मानकों के निर्माण हेतु मानकों का प्राथमिक अभियान आपूर्ति प्रमाणों का निर्माण निम्न निरीक्षण अवकाश संतुष्टि सहित साक्ष्य प्रेषित है।

संलग्नक- अनुमोदित मानकः

आदेश
आदेश
मुख्य अधिकारी
भारत

प्रतिनिधि 1-मैसर्स जोशिम इन्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड मुंबई